<u>Updated status report as on 02.07.2022 of action taken by Agra Development Authority in compliance with the orders of National Green Tribunal, New Delhi dated 01.12.2021 and 24.03.2022:-</u>

A. That on 07.06.2022, Agra Development Authority had filed Action Taken Report through E-mail. The summary of Action Taken Report is as follows:

I. After site inspection, the joint committee issued direction on 27.12.2021 that A.D.A., Agra shall initiate action to make sure for establishment of a Sewage Treatment Plant (S.T.P.) for disposal of sewage originated from the Nalanda Town Colony.

II. the Joint Committee has given further instruction on 24.01.2022 for preparation of an estimated cost to be incurred on establishment of S.T.P. for permanent solution of the sewage problem and also instructed Agra Development Authority for disposal of sewage water deposited on plots outside the gate of the Nalanda Town Colony from tankers.

III. Joint Committee also directed that in case estimated cost on account of establishment of S.T.P. and disposal of sewage exceeds the Internal Development Charges of Rs 52,80,800.00 deposited before the Agra Development Authority, the said deviated amount shall be realised from the residents of the Nalanda Town Colony.

IV. Engineering Section-2, A.D.A. has calculated estimated cost at Rs 95,39,620.00 for establishment of S.T.P. and Rs 1,17,160.00 for disposal

J.E
परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

A.E (B)

E.E
देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

T.P.

of sewage mixed water deposited on plots and in drains, outside the gate of the Nalanda Town Colony but due to imposition of Model Code of Conduct in state since 8.1.2022 till 12.4.2022, proceedings such as invitation of contract etc in this regard could not be possible.

V. In compliance of the order dated 24.03.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, a meeting was called on 30.03.2022 under the chairmanship of the Vice Chairman. In the said meeting, directions were issued to take action in compliance of order passed by the Hon'ble N.G.T

VI. After revocation of model code of conduct, Vice Chairman, A.D.A., Agra accorded his approval on 25.04.2022 for construction of STP and for this work, e-contract was invited on priority basis but only one bid was received. As per rules, single bid cannot be accepted. Therefore, after taking permission of cancellation of this bid and re-invitation of contract, process of second invitation of contract has begun.

VII. In compliance of the order dated 24.01.2022 of the committee constituted by the Hon'ble N.G.T., A.D.A. has started to dispose off the sewage mixed water deposited in drains and on vacant plots outside the gate of the Nalanda Town Colony from tankers since 22.04.22.

VIII. The sewage mixed water deposited in drains and on vacant plots outside the gate of the Nalanda Town Colony has been fully disposed off from tankers by the Agra Development Authority by 10.05.2022.

J.E. — अवर अभियन्ता

A.E. — सहायक अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण

A.E. (B)

E.E — देवेन्द्र सिंह भदौरिया, अधिशासी अभियन्ता

नगर नियोजक

B. That there are certain developments since the filing of Action Taken Report, which has to be brought into the kind notice of Hon'ble Tribunal. Therefore, present status report is being filed on behalf of Agra Development Authority.

C. That steps and actions taken by Agra Development Authority and further development are as follows:

i. Agra Development Authority has prepared the detailed project report through Uttar Pradesh Jal Nigam in relation to the sewage disposal of various colonies set up near Nalanda Town which was again sent to the Jal Nigam for revision. The revised estimate at Rs 80 Crores for first phase of development has been received for the phased development, which after the approval of the Agra Development Authority, shall be sent to the Uttar Pradesh government for obtaining financial and administrative approval. Apart from this, the construction work of STP is being done by the developer of Nalanda Town. It is also to be informed here that after the operation of the STP, necessary arrangements has been made to use the treated water in the park located in Nalanda Town Colony for gardening, in respect of which the rules of National Green Tribunal are being ensured. The construction of STP is in progress under which the civil part 80 percent has been completed. The remaining 20 percent civil part will be completed by 15.07.2022. While doing the installation work of electro mechanical part, the developer has given

J.E.
परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

A.E.
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

A.E.(B)

E.E.
देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

T.P.

assurance to start the operation of STP by 10.08.2022 (Letter of Developer along with relevant documents is annexed herewith as **Annexure A1**).

ii. According to the decision taken in meeting Agra Development Authority has completely disposed off the sewage and sludge deposited in open by the residents of Nalanda Town Colony through tankers, and the same was completed from the amount of internal development fee. At present the construction work of STP is being done by the developer of the colony which is in progress. Developer has assured that STP will start functioning on 10-08-2022.

iii. This problem has arisen only due to non-compliance of the conditions in the approved layout plan by the developer of Nalanda Town Colony, Agra Development Authority has received the letter dated 21.04.2022 from the resident of the colony Shri Devanshu Bose highlighting sewerage problem of Nalanda Town. It was the sole responsibility of the developer to complete the STP and problems pertaining to sewerage in the colony as highlighted in the letter. A meeting was held on 30-03-2022 and 07-04-2022 by Vice President, ADA regarding the sewerage problems of Nalanda Town, in which the complainant Shri D L Yadav, and Shri Devanshu Bose were invited in which the developer of Nalanda Town Colony Shri Radhe Shyam Sharma, Allottee Shri Inderpal, Shri DL Yadav and other residents were present. No meeting has been attended by

JE
अवर अभियन्ता

AE
अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

AE (B)

EE
देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

Mr. Devanshu Bose. The minutes of the instructions given by the Vice President in this meeting are attached. In compliance of this meeting, it was agreed by the developer that they themself will complete the construction work of STP in the Nalanda Town Colony.(Minutes of meeting and orders of Vice Chairman ADA is annexed herewith as **Annexure A2**)

iv. According to the order of NGT dated 01.12.2021, sewerage should not be discharged in open but through tankers, so that environment can be kept safe and compliance of NGT's decision can be ensured. For this, it is necessary in public interest to carry on the work strictly in accordance with order dated 01.12.2021 passed by Hon'ble NGT and in compliance to instructions contained in Para-4 and other points. Regarding the above, a letter was sent to Shri D.L. Yadav and Shri Devanshu Bose on 22-04-2022. (Letter issued to Devanshu Bose and D L Yadav is annexed herewith as **Annexure A3**)

v. Currently, sewer water is being disposed of through tankers by the authority, while this work was to be done by the residents of Nalanda Town Colony but no support is being provided by the residents of Nalanda Town.

vi. After the order dated 24.03.2022 of the Hon'ble Tribunal, the work order has been issued to the Developer of Nalanda Town Colony for construct STP vide letter dated 29.04.2022 of Nalanda Town, in which

J E
अवर अभियन्ता

अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

A E (B)

E E
देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

Developer had assured that STP will be operational within 45 days. However, the construction of STP is still in progress, it has not been completed.

vii. That Agra Development Authority vide letter no 45/BFT/04/04-05 dated 15.06.2022 issued a show cause letter to the developer of Nalanda Town Colony seeking reason for delay in construction of the STP as per the stipulated time line and Developer was warned of strict action in case Developer fails to complete the construction of STP within stipulated time limit. (Copy of letter dated 15.06.2022 is annexed herewith as **Annexure A4**)

viii. That Agra Development Authority has lodged a police complaint in PS Tajganj, Agra against Builders Shri Radheshyam Sharma resident - 105, Friends Vihar Paradise Khandari, Agra for not completing the work related to sewerage and other necessary utilities in the Nalanda town Colony. The complaint was lodged for registration of FIR as per provisions of law.(Copy of Complaint and FIR is annexed herewith as **Annexure A5**)

ix. The layout plan of Nalanda Town Colony Mauja Barauli Ahir Shamshabad Road, Agra was approved on dated 04-07-2005 from the authority. According to the contract entered into by the Developer with the Authority , STP of manic capacity was to be set up for the sewarage disposal of the colony. But STP was not established by the developer.

JE AE AE (B) EE TP

देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

The Developer without obtaining completion issued requisition to the landowners , in relation to which the In -charge (Law) Agra Development Authority through the letter 927 /D /Building /2022 dated 10-06-2022 informed the Developer namely Mr Radhey Shyam Sharma that providing requisition to the landowner in the colony without obtaining completion certificate of construction and internal development work is illegal and Developer was asked to obtain completion certificate after completing all the remains work of the Nalanda Town Colony. By letter dated 28.04.2017, the Developer of the colony M/s Nalanda Builders and Developers Limited was asked to complete all the development work including STP, which were conditions for approval/sanction of layout plan. The Developer had not installed the STP and without obtaining the completion certificate, plots were disposed off by the developer. Such action of the Developer without the no-objection certificate by ADA is illegal.(Letters issued to Developer of Nalanda Town Colony is annexed herewith as **Annexure A6**)

x. That vide letter dated 21.06.2016 recovery certificate was issued against the Developer and vide letter dated 10.05.2019 Tehsildar, Agra informed the status of recovery made from the Developer (Recovery certificate and Letter dated 10.05.2019 is annexed herewith as **Annexure A7**)

JE
परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

AE
अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

AE(B)

EE
देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

TD

xi. An FIR No. 248/2022 dated 23.04.2022, PS- Tajganj, Agra, u/s 420 & 270 IPC was also lodged against the Developer Nalanda Builders & Developers Pvt. Ltd by the Agra Development Authority. Thus effective action taken by Agra Development Authority against the Developer.

JE | AE | AE (B) | EE

परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

आगरा विकास प्राधिकरण

देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

Annexure A1

NALANDA
BUILDERS AND DEVELOPERS (I) LTD.

Ist Floor, Shanti Mall, Church Road, Ram Nagar, Agra
Ph.: 2622690
CIN : U45201UP2005PLC030666
Web : www.nalandabuilders.com

Ref. No. Date

कार्यालय-उपाध्यक्ष
रजिस्टर क्रमांक 926
प्राप्ति पत्र दिनांक 28/04/22

SE/TP/ EE-2 AE(C)/Deshraj

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण
29.4.22

T.P.

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय- नालंदा टाउन शमशाबाद रोड आगरा में एस0टी0पी0 बनाने के सबंध में।

02/5/2022
AE

महोदय,

कृपया आकपे पत्रांक सं0- 45/BFT/04/04-05 के सबंध में निवेदन है हमने उक्त कॉलोनी में एस0टी0पी0 निर्माण करने के लिये वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है जो कि M/s Riasa Water Technologies Pvt. Ltd. Shakarpur New Delhi का दिया गया है साइट पर हमें केवल Foundation Work करना है शेष पूरा एस0टी0पी0 उक्त कम्पनी द्वारा अपनी फैक्ट्री में बनाकर साइट पर Install करना है आज से 45 दिन के अन्दर एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया जायेगा।

धन्यवाद

अंकुर दुबे
निदेशक

FOR NALANDA BUILDERS & DEVELOPERS (I) LTD.
DIRECTOR

संलग्न-
वर्क ऑर्डर की प्रति
अग्रिम धनराशि के चैक की प्रति।

6/5/22

E-mail : info@nalandabuilders.com Fax No.: 0562-2522590

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

आगरा–संजय प्लेस (आगरा) उत्तर प्रदेश (084210)
AGRA-SANJAY PLACE (Agra) Uttar Pradesh-220001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0084210

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

2 8 0 4 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

PAY Riasa water Technologies Pvt. Ltd. या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Ten lacs only

अदा करें ₹ 10,00,000/-

खाता सं. A/c. No. 0 8 4 2 1 1 3 1 0 0 6 9 5 2 चालू खाता CURRENT A/c

WKE

DIRECTOR

PLEASE SIGN ABOVE

⑈251475⑈ 282024032⑆ 29

Scanned with CamScanner

Riasa

Riasa Water Technologies Pvt. Ltd.

Registered Add: 494A, First Floor, Ganesh Nagar,
Shakarpur, Delhi-110092
Contact No. 09899306436, 09899451330
Email: info@riasawater.com, riasawater@gmail.com
Website: www.riasawater.com
CIN: U41000DL2017PTC318104
GST No. : 07AAICR3153N1Z0

Date: - 11-05-2022

To,
Mr. Ankur Dubey -Director,
M/s Nalanda Builders and Developers (I) Ltd
1st Floor, Shanti Mall, Church Road, Ram Nagar,
Agra, Uttar Pradesh-2522590

Subject: - Declaration Letter for Completion of STP Work (Excluding civil work).

Dear Sir,
As per received work order for work supply, installation, testing & commissioning of Sewage treatment plant of Capacity 200 KLD excluding civil work at Nalanda Town, Shamshabad Road, Agra work order reference No. 128/2022 dated 02th May 2022.

We declare that we will completed the above said work as per our proposal within 30 days after completion of civil work as per drawing & also as per received payments from your side.

We will not responsible for delay in completion of work due to civil work and delay of payments at your end.

Thanking You,
M/s Riasa Water Technologies Pvt Ltd

Riasa Water Technologies Pvt. Ltd.

Pramod Kumar
Director

NALAND
BUILDERS AND DEVELOPERS (I) LTI
Ist Floor, Shanti Mall, Church Road, Ram Nagar, Ag
Ph.: 2522590
CIN : U45201UP2005PLC030688
Web : www.nalandabuilders.com

Ref. No. Date ....

WORK ORDER

Project Name : Supply, Installation ,Testing & Commissioning of Sewage Treatment Plant at Nalanda Town Agra.	Dept.:	CIVIL	
Work Order No.: 128/2022	Nature of work	Supply & Installation for STP without civil work	
Reference : Work Order	Value of Work :		Rs.46.5[illegible]
NAME & ADDRESS OF CONTRACTOR	Date of Start :		28.04.202[illegible]
M/S Riasa Water Technologies Pvt. Ltd.	Date of Completion:		Within 30 d[illegible]
Address :- 494A, First Floor, Ganesh Nagar, Shakarpur, Delhi-110092	Account Details: A/C No. 0170102000023135 Bank Name : IDBI Bank, Preet Vihar Delhi-92 IFSC Code IBKL0000170		
MOBILE NUMBER: 9899306437			
Contact person : Mr. Pramod Kumar			
PAN No.AAICR3153N			
GST No. 07AAICR3153N1Z0			

Sl.No.	BOQ Item No.	Description	Approx Qty	Unit	Rate	Total Amou[illegible]
1.	Misc.	Supply, Installation, Testing, Commissioning of sewage Treatment Plant of capacity 200 KLD at Nalanda Town, Agra As per Attached proposal	1	Job	46,50,000	46,50,000
		Total				Rs. 46.5[illegible]

Special terms & Conditions :-

1. Work shall be completed within 30 days after completion of civil work i.e. work order date
2. The scope of work includes the completion of STP .
3. Rs. 1000000/- on issue of work order, RS, 500000/- within 7 days of WO, Rs. 2000000/-before dispatch after inspection, Rs. 500000/- on installation, Rs. 650000/ after completion.
4. GST Extra applicable
5. Freight Extra as per actual

Prepared By Checked By

Accepted By Sub Contractor for Nalanda Builders & Developers (I) Ltd.

Authorized Signatory Anky Authorized Signatory

E-mail : info@nalandabuilders.com Fax No.: 0562-2522590

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :–407/D/EE-2/21-22 दिनांक :–30/03/2022

कार्यवृत्त

नालन्दा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा के अन्तर्गत सीवेज की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल आई.ए. नम्बर–329/2021 देवांशु बोस बनाम आ0वि0प्रा0 व अन्य में दिनांक 24.03.22 को पारित आदेश के अनुपालन में उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0, आगरा की अध्यक्षता में आज दिनांक 30.03.22 को मुख्य नगर नियोजक, प्र0 मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (भवन), नगर नियोजक, क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड. अधिशासी अभियन्ता–2, सहायक अभियन्ता (भवन), सहायक अभियन्ता (खण्ड–2), अवर अभियन्ता (खण्ड–2) एवं नालन्दा टाउन कालोनी विकासकर्ता श्री राधे श्याम शर्मा, नालन्दा टाउन कालोनी के आवंटी श्री इन्द्रपाल, श्री डी.एल. यादव एवं अन्य निवासीगण बैठक में उपस्थित हुये। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :–

1. कालोनी के विकासकर्ता मै0 नालन्दा टाउन एण्ड डवलपर्स को एस.टी.पी. की स्थापना एवं अन्य अवशेष कार्य हेतु नोटिस दिया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
2. दिनांक 06.04.2022 तक विकासकर्ता द्वारा कालोनी के आवंटियों की आर.डब्लू.ए. बनाने के सम्बन्ध में पंजीकरण कराया जाए एवं विकासकर्ता 20.04.22 तक कालोनी की सर्विसेज को आर.डब्लू.ए. को हैण्ड ओवर करना सुनिश्चित् करें (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
3. नालन्दा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा दिनांक 13.04.22 तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
4. इस क्षेत्र में स्थित समस्त कालोनियों का सर्वे कराकर बाह्य विकास शुल्क, आन्तरिक विकास शुल्क का विस्तृत विवरण एक सप्ताह में तैयार किया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
5. अवशेष कार्य पूर्ण न करने एवं योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के विरूद्ध विकासकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाए एवं पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. न लेने के सम्बन्ध में भी नोटिस निर्गत किया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
6. नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर एकत्रित स्लज मिश्रित सीवेज के पानी को आचार संहिता समाप्त होते ही सात दिन के अन्दर टैंकरों के माध्यम से स्थल से हटा दिया जाए, इसके पश्चात् एस.टी.पी. का निर्माण होने तक सीवेज निस्तारण टैंकरों के माध्यम से कराने के लिए आर.डब्लू.ए. को नोटिस दिया जाए (कार्यवाही–अभियन्त्रण खण्ड–2)।
7. विकासकर्ता मै0 नालन्दा टाउन एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन समस्त कालोनियों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग/नियोजन अनुभाग/सम्बन्धित अभि. खण्ड)।

(93)

8. बिन्दु–7 के अन्तर्गत जांच हेतु सचिव, अधीक्षण अभियन्ता (भवन), नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता–2 सहित संयुक्त समिति का गठन किया जाए (कार्यवाही–मुख्य अभियन्ता)।
9. विकासकर्ता द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य दिनांक 27.04.22 तक अवश्य पूर्ण कर दिया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग/अभि. खण्ड–2)।
10. विकासकर्ता मै0 नालन्दा टाउन एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा निर्मित शास्त्रीपुरम स्थित कालोनी नालन्दा क्राउन का निरीक्षण दिनांक 05.04.22 को प्रातः 10:00 बजे कराया जाए (कार्यवाही–मुख्य अभियन्ता)।
11. नालन्दा टाउन कालोनी की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक बुधवार को 12:00 बजे बैठक की जाए (कार्यवाही–मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक /अधीक्षण अभियन्ता (भवन))।
12. प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों की टीम द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी का भ्रमण किया गया। जैसाकि विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा बैठक में बताया गया कि उक्त कालोनी में एस.टी.पी. बना है। किसी अधिकारी द्वारा भ्रमण में उक्त कालोनी में एस.टी.पी. निर्मित नहीं पाया गया। केवल सेप्टिक टैंक बना है और पम्प द्वारा डिस्चार्ज खुले में डाला जा रहा है।
13. विकासकर्ता द्वारा एस.टी.पी. स्थापना से पूर्व संयत्र का स्पेशीफिकेशन व विवरण प्राधिकरण को तत्काल अनुमोदन कराया जाए।
14. संदर्भित क्षेत्र में विकसित अन्य कालोनियों में भी यही समस्या बताई गई। निर्देश दिये गये कि जल निगम द्वारा तैयार की गयी पानी की निकासी/ड्रेनेज की डी.पी.आर. वित्त पोषण एवं स्वीकृति हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाए। (कार्यवाही–अभियन्त्रण खण्ड–2)।
15. स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा कि स्वीकृत महायोजना अनुसार सड़कों की चौड़ाई निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। अतः इस पर संयुक्त रूप से निर्णय नियोजन अनुभाग व भू–अर्जन अनुभाग द्वारा लिया जाना है। (कार्यवाही–मुख्य नगर नियोजक एवं प्र0 भू–अर्जन)

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

30.03.22
उपाध्यक्ष

01/4/22

सचिव महो0
मुख्य नगर नियोजक
प्र0 मुख्य अभियन्ता
अधीक्षण अभियन्ता (भवन) 1/4/22

O/C
30.03.22

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः—45/बीएफटी/04/04—05 दिनांकः— 07/04/2022

कार्यवृत्त

नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा के अन्तर्गत सीवेज निस्तारण के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0—329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 के अनुपालन तथा नालन्दा क्राउन ग्रुप हाउसिंग योजना शास्त्रीपुरम योजना के क्रेताओं की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में आज दिनांक 06.04.2022 को उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थित रहें—

1. श्री आर0पी0सिंह, अधीक्षण अभियन्ता(भवन)।
2. श्री डी0एस0 भदौरिया, अधिशासी अभियन्ता(खण्ड—2)।
3. श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता(खण्ड—2)
4. श्री सतीश राजपूत, सहायक अभियन्ता(भवन)
5. श्री परमानंद किशोर, अवर अभियन्ता(खण्ड—2)
6. श्री फूलबदन यादव, अवर अभियन्ता(भवन)
7. श्री राधेश्याम शर्मा, विकासकर्ता—नालंदा ग्रुप।
8. श्री आर0के0सिंह, निवासी—नालंदा टाउन।
9. श्री एम0एल0राना, निवासी—नालंदा टाउन।
10. श्री सुशील कुमार, क्रेता नालंदा क्राउन।
11. श्री शरद गोपाल आदि, क्रेता नालंदा क्राउन।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नालंदा टाउन कालोनी के अन्तर्गत सीवेज निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 के अनुपालन में पूर्व की गई बैठक दिनांक 30.03.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। नालंदा ग्रुप के विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में उनके द्वारा कंसलटेंट/सप्लायर्स का चयन कर लिया गया है दो दिन के अन्दर उसके द्वारा उपलब्ध करायी गई डिजायन तथा स्पेसिफिकेशन उपलब्ध करा देंगे। उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि एस0टी0पी0 का निर्माण एक माह के अन्दर पूर्ण कर दिया जायेगा। नालंदा क्राउन ग्रुप हाउसिंग के क्रेताओं द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा नालंदा क्राउन योजना में फ्लैट बुक कराये लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो चुके है। विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समय अवधि में न तो योजना का कार्य पूर्ण किया गया है और नही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्य बंद है, जबकि अधिकांश क्रेताओं द्वारा बैंक से लोन लेकर विकासकर्ता को लगभग 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। कुछ क्रेताओं के पक्ष में फ्लैट की रजिस्ट्री भी की जा चुकी है, किन्तु विकासकर्ता द्वारा निर्माण पूर्ण कर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। नालंदा ग्रुप के विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नालंदा क्राउन प्रोजेक्ट उनके द्वारा श्री अनुज मिठास (मो0नं0—9560858405) को हस्तांतरित कर दिया गया है। अवशेष कार्य श्री अनुज मिठास द्वारा कराया जाना है। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नालंदा क्राउन का निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 को किया गया था।

......2

SB LETTER-01

बैठक में हुए विचार—विमर्श के उपरांत उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये—

1. नालंदा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा एस0टी0पी0 के डिजायन/स्पेसिफिकेशन दो दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये। अधीक्षण अभियन्ता(भवन) डिजायन/स्पेसिफिकेशन का परीक्षण कर विकासकर्ता से एक माह के अन्दर एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—भवन अनुभाग)

2. नालंदा टाउन कालोनी के सम्बन्ध में पूर्व बैठक दिनांक 30.03.2022 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही—भवन अनुभाग/अभियन्त्रण खण्ड—2)

3. नालंदा टाउन कालोनी के निवासियों को एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में स्थल पर की गयी प्रगति की जानकारी हेतु आगामी बैठक में बुलाया जाये।

(कार्यवाही—भवन अनुभाग)

4. नालंदा क्राउन योजना का स्थल सत्यापन किया जाये कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है अथवा भिन्न, यदि निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही—प्रवर्तन अनुभाग)

5. श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा नालंदा क्राउन प्रोजेक्ट श्री अनुज मिठास को हस्तांतरित कर दिया गया है। श्री राधेश्याम शर्मा, प्रोजेक्ट हस्तांतरण से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र भवन अनुभाग में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही—भवन अनुभाग)

6. आगामी बैठक में श्री राधेश्याम शर्मा व श्री अनुज मिठास को समस्त अभिलेखों/लम्बित वादों की सूचना के साथ उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाये।

(कार्यवाही—भवन अनुभाग)

7. नालंदा ग्रुप द्वारा विकसित की गई/की जा रही अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में जांच कर आख्या शीघ्र प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही—भवन अनुभाग)

अगली बैठक **दिनांक 13.04.2022** को **अपरान्ह 12:00 बजे** आयोजित की जाये।

भवदीय

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः—

1. अधीक्षण अभियन्ता(भवन) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधिशासी अभियन्ता, अभियन्त्रण (खण्ड—2) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी प्रवर्तन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

07.04.22
उपाध्यक्ष

SR.LETTER.01

October-2019 (Letter Head) (541)

(106)

ई मेल के माध्यम से प्रेषित
R.O. Agra (उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

आ वि प्रा
आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :- 434/D/EE-2/22-23 दिनांक :- 22/4/2022

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता–2,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

1. श्री देवांशु बोस
नालन्दा टाउन,
शमशाबाद रोड, आगरा–282001

2. श्री डी.एल. यादव,
नि0–277ए नालन्दा टाउन,
शमशाबाद रोड, आगरा–282001

विषय :– नालन्दा टाउन कालोनी में सीवेज के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं.–329/2021 देवांशु बोस बनाम आ0वि0प्रा0 एवं अन्य में दिनांक 01.12.21 को पारित आदेशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 10.12.2021 के स्थल निरीक्षण के उपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन के कम में दिनांक 24.01.22 को बैठक में हुये निर्णय के सम्बन्ध में आपको पत्र सं0–333/डी/ईई–2/21–22 दिनांक 02.02.22 के माध्यम से अवगत कराया गया था। पत्र में आपसे यह अनुरोध किया गया था कि एस.टी.पी. के निर्माण स्थल को सुनिश्चित् करने हेतु आर.डब्लू.ए. की जनरल बॉडी मीटिंग से प्रस्ताव पारित कराकर प्राधिकरण को अवगत करायें, परन्तु अभी तक एस.टी.पी. के निर्माण स्थल के सम्बन्ध में कोई अधिकारिक सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन कराये जाने में विलम्ब हो रहा है। दिनांक 28.03.22 को उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अनुसार सीवर का बहाव खुले में न करके टैंकरों के माध्यम से किया जाये जिससे कि पर्यावरण का बचाव किया जा सके एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों का अनुपालन कराया जा सके। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01.12.2021 के पैरा–4 एवं अन्य बिन्दुओं के अनुसार ही कार्य किया जाना जनहित में आवश्यक है (आदेश की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों एवं योजना को विकसित करने वाले विकासकर्ताओं द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली गयी है जो अन्यन्त ही चिन्तनीय है।

आ0वि0प्रा0 द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर सड़क व रिक्त भूखण्डों पर एकत्रित स्लज मिश्रित सीवेज जल को हटाया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों द्वारा सीवेज मिश्रित पानी को पम्प से फेंकना बन्द नहीं किया जा रहा है जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का उल्लघंन है एवं निस्तारण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः नालन्दा टाउन कालोनी में पम्प के माध्यम से सड़क पर बहाये जा रहे सीवेज के पानी को टैंकरों से निस्तारण सुनिश्चित् करायें तथा स्थल पर लगाये गये पम्पिंग सैट को स्थल से तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित् करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता–2

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री राधेश्याम शर्मा, निदेशक नालन्दा इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि., नि0–105, फ्रेण्डस विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.21 का अनुपालन सुनिश्चित् कराने हेतु।
4. मैनेजर, टोरेन्ट पावर लि0, एम.जी. रोड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर पम्पिंग स्थल पर लगे विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

22/4/22

अधिशासी अभियन्ता–2

(7)

मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –1287/ओजी–673/2022 दिनांक–17 /01/2022

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा नांलदा टाउन कालोनी के संयुक्त निरीक्षण आख्या का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक–1226/ओजी–673/2022 दिनांक 07.01.2022 एवं पत्रांक–1163/ओजी–673/2021 दिनांक 28.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

आगरा विकास प्राधिकरण का दायित्व है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नांलदा टाउन कालोनी से जनित सीवेज का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 संशोधित अधिनियम, 1988 की धारा–24 के अन्तर्गत निम्नवत् उल्लिखित है–

24. Prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc.

(1) Subject to the provisions of this section —

(a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards an may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any [stream or well or sewer or on land]; or

(b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

उपरोक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि नालंदा टाउन कालोनी से जनित घरेलू सीवेज का स्थायी निराकरण होने तक टेम्परेरी ट्रीटमेन्ट/प्रोविजनल अरेंजमेन्ट कराने का कष्ट करें तथा कालोनी के पास एकत्रित कालोनी के घरेलू सीवेज को टैंकर के माध्यम से हटवाने का कष्ट करें, जिससे कि एक्शन टेकन रिपोर्ट समयबद्ध रूप से मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित की जा सके। उक्त ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 03.03.2022 नियत है।

भवदीय

(डॉ.विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सदस्य–सचिव महोदय, उ0प्र0प्र0नि0बो0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

(16)

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 1163 / ओजी–673 / 2021 दिनांक –28 / 12 / 2021

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा नालंदा टाउन कालोनी के निरीक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

"2. Having regard to the averments in the application, we find it necessary to ascertain the factual position from a joint Committee of Agra Development Authority, District Magistrate, Agra and UPPCB. UPPCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within two weeks, undertake visit to the site, interact with the stakeholders and ascertain the status of compliance. Based on the 2 observations, the statutory authorities may take further remedial action, following due process of law.

3. A factual and action taken report in the matter may be furnished to this Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त पारित आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 10.12.2021 को नालन्दा टाउन कालोनी, शमसाबाद रोड, आगरा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संयुक्त समिति द्वारा नालन्दा टाउन से जनित सीवेज उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवेज शुद्धिकरण संयत्र की स्थापना आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

28/12/21

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

(15)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा नालंदा टाउन कालोनी के निरीक्षण के सम्बन्ध में आख्या:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

"2. Having regard to the averments in the application, we find it necessary to ascertain the factual position from a joint Committee of Agra Development Authority, District Magistrate, Agra and UPPCB. UPPCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within two weeks, undertake visit to the site, interact with the stakeholders and ascertain the status of compliance. Based on the 2 observations, the statutory authorities may take further remedial action, following due process of law.

3. A factual and action taken report in the matter may be furnished to this Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त पारित आदेशों के कम में जिलाधिकरी, आगरा द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट, आगरा व उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा मुख्य नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को संयुक्त समिति द्वारा फैक्चुयल पोजिशन पता लगाने एवं प्रकरण में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के कम में सदस्य नामित किया गया है।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 10.12.2021 के अपरान्ह में नालन्दा टाउन कालोनी, शमसाबाद रोड आगरा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय एप्लीकेन्ट श्री देवांशु बोस एवं अन्य कालोनी वासी उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे नालन्दा टाउन में लगभग 300 परिवार निवास कर रहें हैं। कालोनी से जनित घरेलु सीवेज के डिस्पोजल हेतु सीवर लाईन नहीं है तथा कालोनी से जनित सीवेज को पाईप लाईन के द्वारा कालोनी के अन्दर बने अण्डर ग्राउण्ड टैंक में एकत्रित कर पंपिग सेट के द्वारा नालन्दा टाउन गेट नं0–2 के बाहर सड़क किनारे जमीन पर डिस्चार्ज किया जाता है। जिससे आस–पास के क्षेत्र एवं कालोनी मे दुर्गन्ध गन्ध की समस्या बनी रहती है।

संयुक्त समिति द्वारा नालन्दा टाउन एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नालन्दा टाउन कालोनी से जनित डोमेस्टिक सीवेज नालन्दा टाउन गेट नं0–2 के पास रोड साइड भारी मात्रा में भरा पाया गया। जिस पर संयुक्त समिति द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई।

मौके पर उपस्थित मुख्य नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नालन्दा टाउन शमसाबाद रोड, आगरा के विकासकर्ता द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा में नालन्दा टाउन के आंतरिक विकास शुल्क के मद में रू0–52,80,800/– व वाह्य विकास शुल्क के मद में रू0–77,68,683/– जमा किये गये हैं। जिससे नालन्दा टाउन कालोनी जनित सीवेज के निस्तारण हेतु कालोनी परिसर में सीवेज शुद्धिकरण संयत्र स्थापित किया जा सकता है। नालन्दा टाउन के अंदर एस0टी0पी0 व नालन्दा टाउन के बाहर नाले के निर्माण कार्य मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है।

कृ0प0उ0

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 संशोधित अधिनियम, 1988 की धारा --26 के अन्तर्गत निम्नानुसार उल्लिखित है कि--

26. PROVISION REGARDING EXISTING DISCHARGE OF SEWAGE OR TRADE EFFLUENT Where immediately before the commencement of this Act any person was discharging any sewage or trade effluent into a [stream or well or sewer or on land], the provisions of section 25 shall, so far as may be, apply in relation to such person as they apply in relation to the person referred to in that section subject to the modification that the application for consent to be made under sub-section (2) of that section 9 [shall be made on or before such date as may be specified by the State Government by notification in this behalf in the Official Gazette.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 संशोधित अधिनियम, 1988 की धारा --24 के अन्तर्गत निम्नानुसार उल्लिखित है कि--

24. PROHIBITION ON USE OF STREAM OR WELL FOR DISPOSAL OF POLLUTING MATTER, ETC.

(1) Subject to the provisions of this section --

(a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any [5][stream or well or sewer or on land]; or

(b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 संख्या--447/2018 में आदेश पारित दिनांक 01.08.2019 द्वारा भी प्रदेश में सीवेज निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

उपरोक्त के कम में संयुक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा तत्काल कार्यवाही कर नालन्दा टाउन कालोनी से जनित सीवेज उत्प्रवाह के disposal हेतु सीवेज शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना सुनिश्चित कराई जाये।

27/12/21
(क्षेत्रीय अधिकारी, प्रभारी),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

27/12/21
(मुख्य नगर नियोजक),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

27.12.21
(नगर मजिस्ट्रेट),
आगरा।

(13)

Email: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक 1226 / ओजी-673 / 2022

दिनांक 7 / 01 / 2022

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा नालंदा टाउन कालोनी के निरीक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक 1163 / ओजी–673 / 2021 दिनांक 28.12.2021 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 10.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा नालंदा टाउन कालोनी का निरीक्षण कर संयुक्त आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई थी कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01.12.2021 के अनुसार प्रकरण की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में आख्या एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट 02 माह (31.01.2022 तक) के अन्दर प्रेषित की जानी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि शीघ्र एक्शन टेकन रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

07/01/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः–45 / बीएफटी / 04 / 04–05 दिनांकः– 15 /06/ 2022

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री अंकुर दुबे व श्री राधेश्याम शर्मा,
निदेशक नालंदा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स (आई) लि0,
105, फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी,
आगरा।

विषयः–नालंदा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 28.04.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि एस0टी0पी0 के निर्माण के लिए वर्कऑडर जारी कर दिया गया है। 45 दिन के अन्दर एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालित कर दिया जायेगा। पुनः आपके द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि फैक्ट्री में प्लान्ट लगभग तैयार कर लिया गया है सिविल कार्य लगभग 15 दिन में पूर्ण कर एस0टी0पी0 का प्लान्ट स्थापित कर दिया जायेगा।

आपके द्वारा उपरोक्त दोनों पत्रों में अंकित समय अवधि समाप्त हो रही है किन्तु स्थल पर अभी तक एस0टी0पी0 स्थापित कर संचालित नहीं किया गया है। आप अवगत है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0–129/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये है।

अतः आप स्पष्ट करें कि आपके द्वारा सूचित की गई तिथियों तक एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया गया है। यदि आपके द्वारा कार्य में शिथिलता पायी जाती है तथा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कोई और प्रतिकूल आदेश पारित किये जाते है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)

Annexure A5

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः—45 / बीएफटी / 04 / 04—05

दिनांकः—23 /05 /2022

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक
थाना—ताजगंज
जनपद आगरा।

महोदय,

कृपया श्री नासिर हुसैन पुत्र स्व0.श्री माजिद हुसैन, कनिष्ठ लिपिक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की संलग्न तहरीर का अवलोकन कर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, निदेशक—नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0, निवासी—105 फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी)
सचिव

प्रतिलिपिः—

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषत नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से भी विकासकर्ता को विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सचिव

दिनांकः—23.04.2022

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,
थाना—ताजगंज,
जनपद आगरा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, निदेशक—नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0, निवासी—105 फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी, मौजा—बरौली अहीर, शमशाबाद रोड, आगरा का विकास आगरा विकास प्राधिकरण से ले—आउट सं0—45/बीएफटी/04/04—05 स्वीकृत कराकर किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार कालोनी के सीवेज निस्तारण हेतु मानक क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना था, जिससे कालोनी से जनित सीवेज का ट्रीटमेंट होने के उपरान्त उसका निस्तारण किया जाता। किन्तु विकासकर्ता द्वारा कालोनी के अन्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित नहीं किया गया है। कालोनी में लगभग 300 परिवार निवास कर रहे है, जिससे जनित होने वाला सीवेज बिना ट्रीटमेंट के खुले में प्रवाहित हो रहा है, जिससे वहां के निवासियों व आस—पास निवास करने वाली जनता को प्रदूषित वातावरण में रहना पड़ रहा है तथा क्षेत्र में प्रदूषित जल भराव की समस्या बनी हुई है। विकासकर्ता का यह कृत्य वातावरण तथा भूजल को प्रदूषित कर रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार सूचित किये जाने के बाद भी विकासकर्ता द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण नहीं किया गया है तथा कालोनी का बिना पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त किये भू—स्वामियों को अध्यासित कर दिया गया है। विकासकर्ता का यह कृत्य अनुबंध व कानून का उल्लंघन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, निदेशक—नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0, निवासी—105 फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा के विरुद्ध वातावरण तथा भूजल प्रदूषित किये जाने की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करते हुए यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

नासिर हुसैन
पुत्र स्व0.श्री माजिद हुसैन
कनिष्ठ लिपिक(भवन अनुभाग)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

वादी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रकिया संहिता के तहत)

Year (वर्ष): 2022

1. District (जिला): आगरा   P.S. (थाना): ताजगंज
FIR No. (प्र.सू.रि.: 0248   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 23/04/2022 23:10 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम)   Sections (धारा(एँ))

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	420
2	भा द स 1860	270

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन):   Date From (दिनांक से   Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 23/04/2022   Time (समय): 22:28 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 082   Date & Time (दिनांक और समय): 23/04/2022 22:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):   Beat No. (बीट सं.):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 07 किमी
(b) Address (पता): नालन्दा टाउन कालोनी, बसौली, अहीर चौकी क्षेत्र एकता
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): नासिर हुसैन कनिष्ठ लिपिक भवन अनुभाग
(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व0 माजिद हुसैन
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1964   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यू आईडी सं.):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	आगरा विकास प्राधिकरण ,ताजगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	आगरा विकास प्राधिकरण ,ताजगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

F.I.R. COPY

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म 1)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राधेश्याम शर्मा निदेशक नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0		पिता का नाम : श्री राम आसरे शर्मा	1. फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज,खन्दारी, थाना: , पर्वत,आगरा,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
नकल तहरीर हिन्दी वादीसेवा प्रभारी निरीक्षक थाना ताजगंज जनपद आगरा महोदय कृपया अवगत कराना है कि श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, निदेशक- नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रालि, निवासी 105 फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी, मौजा-धरौली अहीर, शमशाबाद रोड, आगरा का विकास आगरा विकास प्राधिकरण से ले आउट स0-45 / बीएफटी/04/04-05 स्वीकृत कराकर किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार कालोनी के सीवेज निस्तारण हेतु मानक क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना था, जिससे कालोनी से जनित सीवेज का ट्रीटमेंट होने के उपरान्त उसका निस्तारण किया जाता। किन्तु विकासकर्ता द्वारा कालोनी के अन्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित नहीं किया गया है। कालोनी में लगभग 300 परिवार निवास कर रहे हैं, जिससे जनित होने वाला सीवेज बिना ट्रीटमेंट के खुले में प्रवाहित हो रहा है, जिससे यहां के निवासियों व आस-पास निवास करने वाली जनता को प्रदूषित वातावरण में रहना पड रहा है तथा क्षेत्र में प्रदूषित जल भराव की समस्या बनी हुई है। विकासकर्ता का यह कृत्य वातावरण तथा भूजल को प्रदूषित कर रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार सूचित किये जाने के बाद भी विकासकर्ता द्वारा एसटीपी का निर्माण नहीं किया गया है तथा कालोनी का बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भू-स्वामियों को अध्यासित कर दिया गया है। विकासकर्ता का यह कृत्य अनुबंध व कानून का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, निदेशक-नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रालि0, निवासी-105 फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा के विरूद्ध वातावरण तथा भूजल प्रदूषित किये जाने की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करते हुए यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। प्रार्थी नासिर हुसैन पुत्र स्व श्री माजिद हुसैन कनिष्ठ लिपिक (भवन अनुभाग) आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा दिनांक 23.04.2020 हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित
नोट - कायमी व खुलासा व तहरीर की नकल मुझ सीसी 426 मनोज कुमार के द्वारा बोल बोल कर पढकर कम्प्यूटर पर टाइप का0 4799 शशिकान्त के द्वारा कराई गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): keval Singh Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Omkumar 23/04/22

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): POLICE STATION TAJGANJ
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454402763

थाना – ताजगंज
जनपद – आगरा

आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या : 45 / बीएफटी / 04 / 04–05 दिनांक : 28 / 04 / 2017

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

निदेशक,
मै0नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स (आई) लि0,
प्रथम तल, शान्ती मॉल, चर्च रोड, रामनगर,
आगरा।

विषयः 'नालन्दा टाउन' कालोनी के विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नालन्दा टाउन कालोनी के अन्तर्गत आंतरिक विकास कराये जाने हेतु श्री डी0एल0 यादव द्वारा प्राधिकरण में निरन्तर यह शिकायतें की जा रही हैं कि मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0 58986 / 2016 (प्रोपर्टी बायर इन्ट्रस्ट्स वेलफेयर एसो0 एण्ड अदर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड 2 अदर्स) में प्राधिकरण स्तर पर प्रश्नगत वाद के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.12.16 के कम में सुनवाई करते हुये प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 23.3.2017 को आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि स्थल पर अपूर्ण विकास कार्य यथा–सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नालियाँ, डलाबघर, एस0टी0पी0, फायर हाईड्रेन्ट, सोलर पैनल को विकासकर्ता द्वारा पूर्ण किया जाये एवं रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जाये लेकिन एक माह का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक विकासकर्ता द्वारा उक्त पारित आदेशों के कम में स्थल पर कोई अपूर्ण विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि तत्काल अपूर्ण विकास कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु स्थल पर कार्य प्रारम्भ करते हुये, प्राधिकरण को अवगत करायें अन्यथा मा0उच्च न्यायालय में यदि कोई अवमानना वाद वादी द्वारा दायर किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

28/4/17

मुख्य नगर नियोजक

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः—45 / बीएफटी / 04 / 04—05 दिनांकः—०५ /०५ / 2022

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री राधेश्याम शर्मा,
निदेशक नालन्दा इन्फ्रा डवपलपर्स प्रा0लि0,
105, फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी,
आगरा।

विषयः—नालन्दा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा के अन्तर्गत सीवेज समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओरिजन एप्लीकेशन नं0—329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 के अनपुालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नालन्दा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा के अन्तर्गत सीवेज समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0—329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 के अनपुालन हेतु उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में दिनांक 30.03.2022 को बैठक आहुत की गई थी, जिसमें आप भी उपस्थित थे। नालन्दा टाउन कालोनी का विकास आपके द्वारा किया गया है। बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें—

1. नालन्दा टाउन कालोनी में सीवेज निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण / स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करते हुए दिनांक 27.04.2022 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही कालोनी के अवशेष आन्तरिक कार्य जो आपको पत्रांक—45 / बीएफटी / 04 / 04—05 दिनांक 23.03.2017 द्वारा सूचित किये जा चुके है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों की आर0डब्लू0ए0 पंजीकरण कराने की कार्यवाही दिनांक 06.04.2022 करते हुए विकास कार्य पूर्ण कर कालोनी की सभी सर्विसिस आर0डब्लू0ए0 को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।
3. कालोनी के समस्त आन्तरिक विकास कार्य तथा एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण कर दिनांक 27.04.2022 तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाईन पोर्टल www.upobpas.in पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. एस0टी0पी0 का निर्माण करने से पूर्व एस0टी0पी0 की डिजाइन तथा संयत्रों के स्पेसिफिकेशन का विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा अनुमोदनोंपरान्त स्थापित करने की कार्यवाही करें।
5. आपके द्वारा विकसित की जा रही ग्रुप हाउसिंग योजना नालन्दा क्राउन का निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 को सांय 5:00 बजे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है। अतः स्थल पर रहना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार नालन्दा टाउन के आन्तरिक विकास कार्यो के सम्बन्ध में की जा रही प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 05.04.2022 को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रकरण मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों से आच्छादित है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरते जाने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)

प्रतिलिपिः— उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।।

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)

05-04-22

SR LETTER-01

आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक:–45/बी0एफ0टी0/04–04 दिनांक:– 07/06/2022

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

निदेशक,
नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स(आई) लि0,
प्रथम तल, शान्ती माल, चर्च रोड,
आगरा।

विषय:– नालन्दा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अपने पत्र जो उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 28.04.2022 को प्राप्त हुआ है, का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सूचित किया गया है कि नालन्दा टाउन में एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कालोनी निवासियों द्वारा शिकायत की गई है कि आपके द्वारा एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु कालोनी की सीवर लाइन का प्रवाह रोक कर खुले में छोड़ दिया गया है, जबकि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जब तक स्थल पर एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य गतिमान है तब तक सीवेज का निस्तारण टैंकरों के माध्यम से करना सुनिश्चित करें, ताकि कालोनी के आस–पास गन्दे जल का भराव न हो पाये।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः— 927/डी/भवन/2022

दिनांकः— 10-06-22

प्रेषक,

प्रभारी विधि,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

प्रेषित,

श्री डी0के0त्रिपाठी
एडवोकेट सिविल कोर्ट,
321/5, आवास विकास कालोनी,
सिकन्दरा, आगरा।

संदर्भः—लीगल नोटिस वास्ते श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा, निवासी—फ्लैट नं0—105, फ्रैण्ड्स पैराडाइज, आगरा

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त लीगल नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है। आपके द्वारा नोटिस में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वह पूर्णतया भ्रामक व असत्य है। नालन्दा टाउन कालोनी के विकास हेतु मै0नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स इण्डिया लि0 के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार विकासकर्ता/आपके मुवक्किल द्वारा कालोनी का आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं किये है, जिसकी सूचना समय—समय पर विकासकर्ता/आपके मुवक्किल श्री राधेश्याम शर्मा को पत्र दिनांक 21.03.2013, 06.06.2013, 24.09.2013 व 28.03.2017 द्वारा दी गई थी, किन्तु विकासकर्ता/आपके मुवक्किल द्वारा अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण कराने में कोई रूचि नहीं ली गई। यह भी अवगत कराना है कि कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कालोनी में अध्यासन किया जा सकता है, किन्तु विकासकर्ता/आपके मुवक्किल द्वारा बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही अधूरे आन्तरिक विकास कार्यों के साथ ही कालोनी में अध्यासन प्रारम्भ कर दिया, जिससे कालोनी के निवासियों द्वारा समय—समय पर अधूरे विकास कार्यों की शिकायतें की गई है। विकासकर्ता/आपके मुवक्किल के कुछ भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक रखे गये थे। बार—बार सूचित किये जाने के बाद भी आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न कराने पर बंधक भूखण्डों के मूल्य के बराबर धनराशि विकासकर्ता/आपके मुवक्किल से वसूल की गई है जो कि प्राधिकरण कोष में जमा है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करना तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना विकासकर्ता/आपके मुवक्किल का दायित्व है जो उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है बल्कि बिना एस0टी0पी0 का निर्माण तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही कालोनी में अध्यासन करा दिया गया है, जिससे कालोनी के निवासियों द्वारा जनित सीवर बिना शोधन किये खुले में बहाया गया है, जिसके सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0—329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये है। उपरोक्त प्रकरण में आपके मुवक्किल की पूर्ण लापरवाही से प्राधिकरण को हानि उठानी पड़ रही है। आपके मुवक्किल द्वारा विभिन्न कम्पनियों के डायरेक्टर रहते हुए आगरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न कालोनियां/ग्रुप हाउसिंग विकसित की गई है लेकिन किसी भी योजना में विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही अध्यासित करा दिये गये है जो पूर्णतया अवैधानिक है। कई योजनाओं में प्राधिकरण का देय धनराशि बकाया है, जो जमा नहीं की गई है। योजनाओं की सूची निम्नवत् है—

..........2

1. नालन्दा आशियाना–1, मौजा–रजरई, आगरा।
2. नालन्दा आशियाना–2, मौजा–नौवरी तथा रजरई, आगरा।
3. नालन्दा टावर, मौजा–ककरैंठा, आगरा।
4. नालन्दा हाईट्स, मौजा–चमरौली, आगरा।
5. द्वारिका नालन्दा, मौजा–पथौली, आगरा।
6. नालन्दा इकोसिटी, मौजा–पथौली, आगरा।
7. नालन्दा क्राउन, मौजा–मौहम्मदपुर, आगरा।
8. नालन्दा ग्रेड, मौजा–घटवासन, आगरा।
9. नालन्दा प्राइड, कोटला हाउस, आगरा।
10. नालन्दा एस्टेट, ताजनगरी–2, आगरा।
11. नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि आपके मुवक्किल द्वारा किसी भी योजना का विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है और न ही प्राधिकरण में देय धनराशि जमा करायी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मुवक्किल अधूरे विकास कार्य करने के आदी है जिससे उन योजनाओं में रहने वाले निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है एवं प्राधिकरण की स्थिति भी संकट में रही है।

अतः आप अपने मुवक्किल को सूचित कर दें कि वह आगरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित/स्वीकृत करायी गयी सभी योजनाओं मे अवशेष देय धनराशि जमा कराना तथा अवशेष आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके मुवक्किल के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपके मुवक्किल का होगा।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

प्रभारी विधि

Annexure A7

765

Agra Development Authority, Agra

Book No. 33 S.No. 1 Dated 21-6-2016 ~~18~~

CERTIFICATE OF RECOVERY

Whereas Sri/Srimati Radhe Shyam Son/Wife/Daughter of Sri Ram Pratap Sharma resident of 105, Friends Paradise Khandari Agra owes to Agra Development Authority Premium of Land/Instalment (s) of Hire Purchase of ~~building/Instalment(s) of loan/Rent~~ Internal Development in respect of Premises No .... situated in Shamsabad Road Colony Nalanda Town Tajganj Ward, Agra, Which he/she has failed to pay. An amount of Rs. 5280800-00 is, therefore, due from Sri/Smt. Radhe Shyam Son/Wife/Daughter of Sri Ram Pratap Sharma resident of 105, Friends Paradise, Agra Agra, as Premium of Land/Instalment (s) of hire Purchase of Building/Instalment (s) of loan/Rent which is recoverable as arrears of land revenue under section 40 of U.P. Urban Planning and Development Act, 1973.

The Collector, Agra is requested to make this recovery as arrears of Land Revenue and remit the amount to the Agra Development Authority, Agra.

Secretary
Agra Development Authority
Agra

21/6/17
Vice Chairman
Agra Development Authority
Agra

कार्यालय तहसीलदार (सदर), आगरा।

संख्या 92 / वा0वा0न0

विषयः— आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बकाया धनराशि आर0सी0 द्वारा वसूल किये जाने के सम्बन्ध में। दिनांकः 10/05/2019

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 45 / बी0एफ0टी0 / 04 / 04-05 दिनांक 26.04.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि आन्तरिक विकास की धनराशि के बकायेदार श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा नि0 105 फ्रेण्डस पैराडाइज खन्दारी आगरा से धनराशि मु0 52,80,800.00 रू0 वसूली हेतु आर0सी0 निर्गत की गयी थी, परन्तु अभी तक धनराशि मात्र 40,60,136.00रू0 वसूल किया गया है। शेष धनराशि वसूल किये जाने की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्त प्रकरण में बाकीदार से सम्पूर्ण बकाया धनराशि मु0 52,80,800.00रू0 की वसूली कर बैकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्टो के माध्यम से आपके विभाग को भेजी जा चुकी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	डी0डी0 / चैक संख्या / दिनांक	धनराशि	इस कार्यालय के पत्र व दिनांक से भेजा गया।
1.	638083 / दि0 08.09.2017	9,10,000.00	पत्र सं0 51 दि0 13.09.2017
2.	086756 / दि0 27.11.2017	1,00,000.00	पत्र सं0 75 दि0 29.11.2017
3.	086757 / दि0 27.11.2017	1,00,000.00	पत्र सं0 75 दि0 29.11.2017
4.	086754 / दि0 14.12.2017	3,00,000.00	पत्र सं0 89 दि0 18.12.2017
5.	086780 / दि0 30.01.2018	12,20,664.00	पत्र सं0 106 दि0 02.02.2018
6.	086800 / दि0 19.03.2018	5,00,000.00	पत्र सं0 127 दि0 26.03.2018
7.	086805 / दि0 27.04.2018	10,00,000.00	पत्र सं0 134 दि0 03.05.2018
8.	086810 / दि0 01.05.2018	11,50,136.00	पत्र सं0 139 दि0 08.05.2018
	कुल—	52,80,800.00	

तहसीलदार सदर,
आगरा।

प्रतिलिपिः— उपजिलाधिकारी सदर, आगरा महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार सदर,
आगरा।

परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

अशोक कुमार सिंह AE
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

AE (B) (सतीश राजपूत) सहा० अभियंता

देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

(प्रभात कुमार)
नगर नियोजक